



2026:AHC:44974

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1210, वर्ष 2024

उमेश कुमारयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: ब्यास कुमार प्रसाद, लवकुश कुमार भट्ट

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री (नाम का उल्लेख नहीं) एवं विद्वान डी.एस.जी.आई. श्री एस.के. पाल को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 01.08.1994 को उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद 03.11.2004 को उसे खुफिया विभाग में तैनात किया गया था; उसका दावा है कि उसे पदक भी प्रदान किए गए हैं और उसे हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत भी किया गया था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक जांच की गई थी, जिसके बाद उसे वापस (मूल विभाग में) भेज दिया गया। अब याचिकाकर्ता खुफिया विभाग में वापस बहाल किए जाने का दावा करता है।
3. विद्वान डी.एस.जी.आई. का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर तीसरे प्रतिवादी, पुलिस उप महानिरीक्षक (इंटेलिजेंस), इंटेलिजेंस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, 1 गोखले मार्ग, लखनऊ द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 13.03.2026 तक तीसरे प्रतिवादी, पुलिस उप महानिरीक्षक (इंटेलिजेंस), इंटेलिजेंस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, 1 गोखले मार्ग, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, तीसरे प्रतिवादी दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

फरवरी 26, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।